अन्य कार्य में व्यस्त हैं/वाहर पधारे हैं।
उभयपक्ष के अभि.उप. आयन्दा दिनांक 18-12-18
को पेश हो।

रीडर

18-12-18 उभय पक्ष के अभि० उप० । निर्णय की प्रमाणित प्रति पेश करने को मौका चाहते हैं दिनांक 1-1-19 को पेश हो

1-1-19 उभय पक्ष के अभि० उप० । निर्णय की प्रति० संलग्न नहीं की गई। बाद में 6 CPC मौका चाहते हैं। 6 CPC को दि० 7-1-19 को पेश हो।

7-1-19 पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब अवकाश
अन्य कार्य में व्यस्त हैं/वाहर पधारे हैं।
उभयपक्ष के अभि.उप. आयन्दा दिनांक 14-1-19
को पेश हो।

रीडर

14-1-19 उभय पक्ष के अभि० उप० । 6 CPC सुनी गई। बाद में आदेश दिनांक 23-1-19 को पेश हो

23-1-19 उभय पक्ष के अभि० उप० । प्रार्थीगण का प्रा० पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से प्राकलित किया गया। प्रा० पत्र फैसलशुमार होकर संलग्न मूल वाद रहे। निर्णय सुनाया गया।

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्डाधिकारी किशनगढ-बास (अलवर)

अध्यासित द्वारा :-
श्री महेन्द्रसिंह यादव आर.ए.एस.

प्रा.पत्र संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
34	21-3-14	23-1-19

उनवान

1- रतनसिंह
2- विक्रमसिंह
3- विजयपालसिंह पुत्रान छोटूराम जाति अहीर निवासी ग्राम कोलगांव तहसील किशनगढ-बास जिला अलवर :- वादी/प्रार्थीगण

बनाम

1- गोपीचन्द
2- ताराचन्द
3- श्रीकिशन
4- निहालसिंह पुत्रान सूरजा उर्फ सूरजभान
5- प्रकाशदेवी
6- माया देवी
7- संतोष देवी
8- सावित्री देवी पुत्रीयान सूरजा उर्फ सूरजभान अति अहीरान निवासी ग्राम कोलगांव तहसील किशनगढ-बास जिला अलवर
9- शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक बहादरपुर जिला अलवर
10-राज. सरकार जर्ये तहसीलदार लैण्ड होल्डर किशनगढ-बास
:-प्रति0/अप्रार्थीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट.
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र के सूक्ष्म वृतान्त निम्न प्रकार से है :- वादीगण/प्रार्थीगण ने एक वाद अन्तर्गतधारा 53, 88, 89, 188 आर.टी.एक्ट. पेश कर उसके साथ प्रा.पत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट. पेश कर निवेदन किया कि उपरोक्त शीर्षक का वाद पूर्ण तथ्यों सहित न्यायालय श्रीमान में पेश किया जा रहा है। जिसमें प्रार्थी को सफलता की पूरी-पूरी उम्मीद है।

जिला कलैक्टर उपरोक्त शीर्षक का वाद प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों जमाबन्दी सामाजिक किशनगढ-बास (अलवर) फैसला 2004 एवं हलफनामा से प्राईमाफेसी प्रथम दृष्टया आयद वो प्रतीत होता है।

--2--

राजस्व ग्राम कोलगांव तहसील किशनगढ़-बास में स्थित खाता आ.ख.नं. 90/0.8500, 91/0.3900, 92/0.2500, 210/0.8200, 211/0.82, 215/1.2000, 213/1259/0.1300, 93/1249/0.3800, 94/1.4800, 248/1.4900, 212/0.0900, 213/1257/0.0400, 93/1248/0.0500, कुल किता 13 रकबा 7.9900 पक्षकारान की संयुक्त परिवार की शामलाती खातेदारी व शामलात कब्जे काश्त की अबट आराजी है जिस पर वादीगण/प्रार्थी. एवं प्रतिवादी सं. 1लगा. 8 शामलात में काबिज वो काश्त करते चले आ रहे है और आज भी कब्जा है। पक्षकारान संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। एक ही दादा की संतानें है। जिनका शजरा परिवार दावा में दर्ज है।

वादीगण/प्रार्थी0 वो प्रतिवादी/प्रार्थी0 सं. 1लगा. 8 के मध्य विवादित आराजी का कोई बंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड नहीं हुआ है। मुतनाजा आराजी पर पक्षकारान सदै व से 1/2, 1/2 भाग पर काबिज वो काश्त चेले आ रहे हैं। वादीगण/प्रार्थी. व प्रतिवादीगण/अप्रार्थी0 के पूर्वज बलबीर अविवाहित फौत हुआ है। जिसका हक व हिस्सा पक्षकारान के मध्य समान भाग में समायोजित हो चुका है। मृतक कालूराम का पुत्र रामोतर को नारनौल की चल अचल सम्पत्ति सौंप दी गई। पक्षकारान के मध्य कोई रिकार्डेड बंटवारा विधिक रूप से नहीं हुआ। पक्षकारान ने आपसी बाहमी रूप से भूमि की किस्म व सहूलियत के मुताबिक बाहमी रूप से काश्त किया हुवा है। जिसके मुताबिक आराजी को काश्त करते वो फसल पैदावार लेते आ रहे है। राजस्व पत्रादि में शामलात में दर्ज हो रही है। पक्षकारान ने मुतनाजा आराजी को बाहमी रूप से बांटकर शामलात में काश्त करते आ रहे है जिसका विवरण वाद पत्र में अंकित है।

आ.ख.नं. 248/1.4900 पक्षकारान की सदैव से संयुक्त पट्टेदारी कब्जा काश्त की आराजी रही है। जिसमें पक्षकारान का समान भाग कब्जे काश्त का था और आज भी है। जिसकी कीमत संयुक्त आय से प्राप्त कर सनद सं. 645/1987 में अकेले प्रति./अप्रार्थी. के पिता सूरजभान के नाम से जारी कराया था। जिसके कारण राजस्व पत्रादि में अकेले प्रतिवादीगण वो उनके पिता का नाम दर्ज हो रहा है जबकि आराजी ख.नं. 248 को सदै व से निष्फ निष्फ हिस्से में काश्त करते आ रहे है और आज भी वादीगण/प्रार्थी का 1/2भाग पर कब्जा है। दरमियान पक्षकारान कुल सम्पत्ति की बाबत सामाजिक फैसला 29-8-2004 को मुखिया मौजिज लोगों की उपस्थिति में पक्षकारान के मध्य हुआ है। जिससे अप्रार्थी कानूनन पाबन्द है। किन्तु प्रतिवादीगण बतौर मुठमर्दी गलत अंकन की आड में संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी को बेचान करने पर तुले हुए है। वादीगण/प्रार्थी को उनके हक हिस्से से महरूम कर देना चाहते है।

उप जिला कलेक्टर
किशनगढ़-बास (अलवर)

—3—

बिना बंटवारा कराए शामलात भूमि की सौदे बाजी चलाई हुई है। अप्रार्थी ने दिनांक 9-3-14 को अजखुद बंटवारा कराने से साफ मना कर दिया तथा शामलात भूमि को स्टेन्जर परशन को बेचान करने की धमकी दी है जिससे हकूक प्रार्थी समाप्त हो जावेंगें। प्रार्थी0 अपूर्णनीय क्षति होगी।

अतः प्रार्थना है कि हुक्म इम्तनाई चन्दरोजा बर खिलाफ प्रति0/अप्रार्थीगण पारित करते हुये प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे कि आराजी उक्त विवादित वाके ग्राम कोलगांव को दीगर जगह रहन बय मुन्तकिल ना करें, ना वादीगण/प्रार्थीगण को बेदखल करें, ना हकूक वादीगण/प्रार्थीगण समाप्त करे, ना शामलात कब्जा काश्त से बेदखल करे, दौराने दावा रिकार्ड एवं मौका की यथावत् स्थिति कायम रखें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 11-3-14 को वकील प्रार्थीगण को एकपक्षीय सुना जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 7-4-14 तक आराजी विवादित के मौका की यथास्थिति बनाये रखे जाने की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

बाद तामील अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुये जबाब पेश किया कि प्रार्थना पत्र गलत है कतई स्वीकार नहीं है। कोई आराजी विवादित नहीं है। बेजारूप से विवादित बनाया गया है। आ.ख नं. 248/1.4900 पक्षकार की खातेदारी शामलाती कब्जे काश्त की आराजी नहीं है बल्कि हम जबाबदारान व हमारी बहनों की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है जिससे वादीगण का कोई सम्बन्ध वो सरोकार नहीं है वादीगण ने उक्त खसरा नम्बर को बेजारूप से अपने वाद पत्र में शामिल किया है उक्त नम्बर हम जबाबदारान के मृतक पिता सूरजभान पुत्र कालू की अलोटशुदा आराजी है जिसकी कीमत कर्जा हम जबाबदारान के पिता द्वारा जमा कराकर खातेदारी सनद् पट्टा नं. 645/87 प्राप्त की हुई है। जिसे मृतक सूरजभान अपने जीवनकाल में काबिज रहा तथा उनकी मृत्यु के बाद हम काबिज काश्त है। ख नं. 248 को छोडकर शेष आराजी में पक्षकारान का 1/2, 1/2 हिस्सा है। शामलात खातेदारी में दर्ज आराजी का तकासमा कराने को तैयार है। ख नं. 248 मृतक सूरजभान की स्वयं अर्जित आराजी है। जिस पर अप्रार्थीगण काबिज काश्त है प्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। पक्षकारान का कोई सामाजिक फैसला नहीं हुवा प्रा.पत्र में दिनांक 9-3-14 की समस्त गलत कहानी अंकित करी है। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के विरूद्ध कोई हुक्म इम्तनाई चन्दरोजा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

अतः जबाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण मय हर्जा खारिज फरमाया जावे।

उप जिला कलेक्टर
किशनगढ़-बास (अलवर)

—4—

उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि आराजी विवादित हिन्दू मुश्तर्का खानदान की आराजी है। सूरजा, बलबीर, छोटा पुत्रान कालू तीन भाई थे जिनमें सूरजा कर्ता परिवार था तथा बलबीर अविवाहित फौत हो गया उसका हिस्सा सूरजा व छोटू को बराबर बराबर चला गया। पिता अप्रार्थीगण बडा था जो कर्ता परिवार था जिसने सामलात की पट्टेदारी के ख. नं. 248 /1.4900 की सनद खातेदारी अकेले अपने नाम जारी कराली जबकि कीमत कर्जा शामलात में ही जमा कराया था। यह नम्बर सनद जारी होने से पहले शामलात पट्टेदारी में ही दर्ज था और पारिवारिक बंटवारे में यह भूमि प्रार्थीगण के हिस्से में आई हुई है मौके पर काबिज काश्त है। मूल वाद निगरानी में राजस्वमण्ड गया हुवा है। जब तक दावे का निस्तारण नहीं हो तब तक प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण को मौका व रिकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जावे। वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि ख. नं. 248 अप्रार्थीगण के पिता वो अप्रार्थीगण की कब्जे काश्त खातेदारी का है जिसकी कीमत कर्जा जमा कराकर सनद खातेदारी पिता प्रार्थीगण ने प्राप्त की थी इससे प्रार्थीगण का कोई लेना देना नहीं है शेष नम्बरान शामलाती है जिसमें पक्षकारान का 1/2, 1/2 हिस्सा है। प्रार्थीगण ने ख. नं. 248 का दावा गलत दायर किया है शामलाती खातेदार की भूमि पर मुताबिक हिस्सा काबिज काश्त है। प्रार्थी किसी भी प्रकार से अप्रार्थीगण को पाबन्द कराने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2066-69 के अनुसार ख. नं. 248 अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है तथा शेष नम्बरान पक्षकारान की शामलाती खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबन्दी सं. 2042 के कालम नं. 4 में ख. नं. 248 खेमू पुत्र हनूता सूरजभान पुत्र कालू अहीर समभाग सा. देह पट्टेदार दर्ज रिकार्ड है जिससे साबित है कि यह आराजी अकेले सूरजभान की पट्टेदारी में नहीं थी। इसी जमाबन्दी सं. 2042 में इन्तकाल नं. 531 खातेदारी बहक सूरजभान दर्ज रिकार्ड है। नकल इन्तकाल नं. 531 के कालम नं. 7 में खेमू पुत्र हनूता सूरजभान पुत्र कालू अहीर समभाग सा. देह पट्टेदार अंकित है तथा कालम नं. 9 में सूरजभान पुत्र कालू अहीर सा. देह खातेदार अंकित है जिससे साबित है कि शामलाती पट्टेदारी की सनद खातेदारी अकेले सूरजभान ने प्राप्त की है और पक्षकारान के मध्य तनाजा होने का कारण भी यही प्रतीत होता है। नकल ख. गि. सं. 2030-33 में आ. ख. नं. 248 में सूरजा, बलबीर, छोटा के द्वारा काश्त किया जाना दर्ज है।

उप जिला कलैक्टर
किशनगढ-बास (अलवर)

--5--

सम्वत 2030 -33 की गिरदवरी में ख.नं. 248 पर सूरजा, बलबीर, छोटा पुत्रान कालू अहीर द्वारा काश्त किया जाना अंकित होने से यह तथ्य बाखूबी साबित है कि यह आराजी शामलाती कब्जे काश्त की है। पक्षकारान में विवाद होने पर सामाजिक फैसला भी दिनांक 29-8-2004 को लिखित में हुवा है जिसकी छांया प्रति पत्रावली में पेश है जिससे साबित है कि पक्षकारान में शामलाती सम्पत्ति को लेकर विवाद पैदा हुवा है। जब ख.नं. 248 शामलाती पट्टेदारी में दर्ज था तो उसे लेकर पक्षकारान में तनाजा होना स्वभाविक है क्योंकि शामलाती पट्टेदारी में दर्ज आराजी की सनद खातेदारी अकेले व्यक्ति ने अपने नाम प्राप्त करली जो विवाद का कारण रहा है। पक्षकारान में आगे कोई विवाद ना बढ़े यह तथ्य भी काबिल गौर है। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी सं. 2042 व नकल ख.गि. सं. 2030- 3 3 के अनुसार सुविधा संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है चूँकि आराजी वर्तमान में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज है इसलिए नापूर्तिवाली क्षति भी प्रार्थीगण को ही है। हक हकूकों का निर्णय मूल वाद में साक्ष्य सबूत लेकर ही किया जावेगा वर्तमान स्टेज पर केवल सुविधा संतुलन ही देखा जाना है। प्रस्तुत रिकार्ड से सुविधा संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतःआदेश है कि:-

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला दावा इस अमर से पाबन्द किया जाता है कि वो आ.ख. नं. हाल 90/0. 8500, 91/0. 3900, 92/0. 2500, 210/0. 8200, 211/0. 8200, 215/1. 2000 , 213/1259/0. 1300, 93/1249/0. 3800, 94/1. 4800, 248 / 1. 4900, 212 /0. 0900, 213/1257/0. 0400, 93/1248/0. 0500कुल किता 13 रकबा 7. 9900 वाके ग्राम कोलगांव तहसील किशनगढ-बास के मौका व रिकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखें। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर संलग्न मूल वाद रहे। निर्णय टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी
किशनगढ-बास{अलवर}